भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5248

(24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़कों का रखरखाव और मरम्मत

5248. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित कई सड़कें अनेक स्थानों पर जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं और समय पर रख-रखाव और मरम्मत के लिए अनिवार्य रूप से प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित कितनी नई सड़कों का निर्माण किया गया है और उनके पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण (उन्नयन) का कार्य किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण तथा नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए किसी नए प्रस्ताव और विशेष पैकेज को मंजूरी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए स्वीकृत बजट क्या है; और

(ङ) क्या सरकार गुणवत्ता नियंत्रण और निर्माण कार्य के मद्देनजर एक निश्चित अवधि के लिए सड़कों का रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए कोई कड़े उपबंध लागू करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) 'ग्रामीण सड़कें' राज्य का विषय है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) कोर नेटवर्क में पात्र संपर्क विहीन बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान करने की एक- बारगी विशेष कार्यकलाप है। कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा सभी सड़क कार्य मानक बोली दस्तावेज

के अनुसार उसी ठेकेदार के साथ निर्माण अनुबंध के साथ-साथ पाँच वर्षीय प्रारंभिक रखरखाव अनुबंधों द्वारा कवर किए जाते हैं। अनुबंध की सेवा के लिए रखरखाव निधि का प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट में किया जाना अपेक्षित है तथा इसे एक पृथक रखरखाव खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के उपयोग में रखा जाना आवश्यक है। निर्माण पश्चात् 5 वर्षीय रखरखाव की समाप्ति पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर रखरखाव चक्र के अनुसार नवीकरण सहित 5 वर्षीय क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत लाया जाना आवश्यक है, जिनका वित्तपोषण भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत निर्मित की जा रही सड़कों की टिकाऊपन सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय अपनाए गए हैं। विवरण निम्नानुसार है:

i. पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों और विनिर्देशों का पालन करते हुए किया जाता है।

ii. चुनौतीपूर्ण भूभागों में सड़कों के लिए अभिनव एवं टिकाऊ निर्माण तकनीकों को तेजी से अपनाया जा रहा है।

iii. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के मद्देनजर, विपरीत मौसमी परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम सड़कों के डिजाइन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसमें बेहतर जल निकासी प्रणाली, आपदा-प्रतिरोधी संरचनाएं और भेद्यताओं को न्यूनतम करने के लिए संरेखण नियोजन शामिल हैं।

iv. नवीनतम प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों से परिचित कराने के लिए अभियंताओं और ठेकेदारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्मित/उन्नत सड़कों का विवरण निम्नानुसार है:

उत्तर प्रदेश सहित देश में निर्मित सड़कों का विवरण

वित्त वर्ष	सड़कों की संख्या	लंबाई (किमी)
2022-23	6,073	29,733.45
2023-24	4,442	26,099.69
2024-25	2,830	18,108.36

उत्तर प्रदेश राज्य में निर्मित सड़कों का ब्यौरा

वित्त वर्ष	सड़कों की संख्या	लंबाई (किमी)
2022-23	744	5,011.09
2023-24	911	6,798.80
2024-25	495	2,807.85

राज्य-वार विवरण कार्यक्रम वेबसाइट https://pmgsy.dord.gov.in -> Progress Monitoring-> Financial year-Wise Achievement पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) आरंभ की है। इस नई पहल का उद्देश्य 62,500 किमी नई सड़कों के निर्माण के माध्यम से लगभग 25,000 संपर्क विहीन बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान करना है।

पीएमजीएसवाई-IV के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये है (केंद्रीय अंश: 49,087.50 करोड़ रुपये; राज्य अंश: 21,037.50 करोड़ रुपये)। जनगणना 2011 के अनुसार इस चरण में बसावटों के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

(i) मैदानी क्षेत्र: 500 या अधिक जनसंख्या।
(ii) उत्तर-पूर्व, पर्वतीय राज्य और विशेष श्रेणी क्षेत्र: 250 या अधिक जनसंख्या।
(iii) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले: 100 या अधिक जनसंख्या।

राजकोषीय अनुशासन और परियोजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने निधि जारी करने हेतु निम्नलिखित सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया है:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रारंभिक 5 वर्षीय निर्माण पश्चात् रखरखाव और उसके बाद के 5 वर्षीय नवीकरण चक्र के लिए पूर्ण बजटीय सहायता की प्रतिबद्धता के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने होंगे।

ii. केंद्रीय अंश जारी करना पूरी तरह राज्य द्वारा समय पर रखरखाव निधि जारी करने पर सशर्त है। मई के बाद प्रस्तुत निधि प्रस्तावों के लिए, राज्यों को वार्षिक रखरखाव आवश्यकता का कम से कम 50% जारी करने का प्रमाण-पत्र देना होगा; नवंबर के बाद के प्रस्तावों के लिए 100% प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।

iii. वास्तविक समय ट्रैकिंग, पारदर्शिता और उपयोग-आधारित जारी करना सुनिश्चित करने के लिए निधि प्रवाह एसएनए-स्पर्श प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

(ङ) सरकार ने सड़कों के रखरखाव और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पहले से ही कड़े प्रावधान शामिल किए हैं। मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:

i. सभी पीएमजीएसवाई कार्य 5 वर्षीय दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के अंतर्गत आते हैं, जिस दौरान ठेकेदार सड़क के नियमित रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इस अवधि के दौरान पाए गए किसी भी दोष को ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर ठीक किया जाना अनिवार्य है।

ii. डीएलपी के दौरान रखरखाव प्रदर्शन-आधारित भुगतानों से जुड़ा हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ठेकेदार भुगतान प्राप्त करने के लिए सड़क को अच्छी स्थिति में बनाए रखें।

iii. 5 वर्षीय डीएलपी की समाप्ति के उपरांत, रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दी जाती है। राज्यों को निरंतर रखरखाव के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करना अनिवार्य है।

iv. सरकार ने 5 वर्ष पश्चात् के रखरखाव सहित रखरखाव कार्यकलापों की निगरानी के लिए ई-मार्ग प्लेटफॉर्म लागू किया है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

v. सड़कों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली (पीआईयू, राज्य गुणवत्ता मॉनीटर और राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर) लागू है।

vi. खराब गुणवत्ता या मानकों के अनुसार सड़कों का रखरखाव न करने की स्थिति में भुगतान रोकना, वसूली और ठेकेदारों को प्रतिबंधित करने सहित कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।
